SHODH SAMAGAM
ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

डिजिटल वाणिज्य और फिनटेकः संस्कृताधारित आर्थिक चिंतन के आलोक में एक समालोचनात्मक अध्ययन

मीनाक्षी आहूजा, वाणिज्य विभाग
अमित शर्मा, पी–एचडी., संस्कृत विभाग
डी.ए.वी शताब्दी महाविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
मीनाक्षी आहूजा
अमित शर्मा, पी–एचडी.
E-mail : mahuja181@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 24/12/2025
Revised on : 25/02/2026
Accepted on : 06/03/2026
Overall Similarity : 00% on 26/02/2026

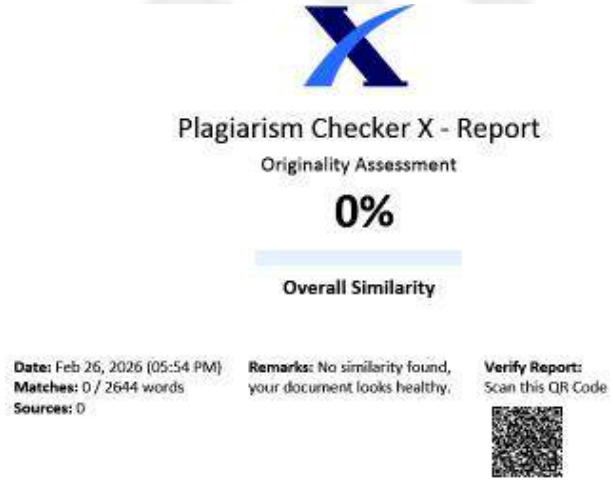

शोध सार

आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिजिटल वाणिज्य तथा वित्तीय प्रौद्योगिकी आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक तत्त्व बन चुके हैं। भुगतान प्रणाली, ऋण–वितरण, निवेश प्रबंधन तथा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण ने अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। भारत में Reserve Bank of India की नियामकीय नीतियाँ तथा National Payments Corporation of India द्वारा विकसित UPI प्रणाली ने डिजिटल लेन–देन को तीव्र, पारदर्शी और सुलभ बनाया है। इस प्रकार आधुनिक वित्तीय संरचना दक्षता, गति और व्यापक पहुँच के आधार पर सुदृढ़ हुई है किन्तु तकनीकी विस्तार के साथ डेटा–सुरक्षा, साइबर अपराध, उपभोक्ता–शोषण, एल्गोरिथ्मिक पक्षपात तथा नैतिक शिथिलता जैसी चुनौतियाँ भी उभरकर सामने आई हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था केवल तकनीकी प्रगति पर आधारित न होकर नैतिक–दार्शनिक आधार से भी निर्देशित हो। भारतीय ज्ञान परंपरा इस संदर्भ में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। मनुस्मृति का "नाधर्मेण धनं कामयेत्" धर्मसम्मत अर्थार्जन की अनिवार्यता प्रतिपादित करता है। कौटिल्य का "कोष मूलो दण्डः" वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता पर बल देता है। याज्ञवल्क्यस्मृति व्यापारिक न्याय और निष्पक्षता की स्थापना करती है, जबकि श्रीमद्भगवद्गीता का "लोकसंग्रह" सिद्धांत आर्थिक क्रियाओं को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ता है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन आधुनिक फिनटेक तंत्र के लिए नैतिक दिशा–निर्देशक सिद्ध हो सकता है। प्रस्तुत शोधपत्र में संस्कृताधारित आर्थिक सिद्धांतों तथा समकालीन डिजिटल वित्तीय संरचना के मध्य अंतर्संबंध का समालोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षतः यह

प्रतिपादित किया गया है कि तकनीकी नवाचार और धर्माधारित आर्थिक दृष्टि के समन्वय से ही एक न्यायसंगत, पारदर्शी एवं मानवोन्मुख डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है।

मुख्य शब्द

डिजिटल वाणिज्य, फिनटेक, अर्थशास्त्र, धर्माधारित अर्थनीति, वित्तीय समावेशन, डिजिटल पारदर्शिता.

प्रस्तावना

'अर्थ' का दार्शनिक आधार और डिजिटल युग

भारतीय दार्शनिक परंपरा में 'अर्थ' को पुरुषार्थ–चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनिवार्य अंग माना गया है।[1] कामन्दकीय तथापि 'अर्थ' को स्वतंत्र एवं निरंकुश सत्ता के रूप में नहीं, अपितु धर्माधीन तत्त्व के रूप में स्वीकृत किया गया है। महाभारत में निर्देश मिलता है "धर्मेण अर्थः समाचरेत्"[2], अर्थात् अर्थ का उपार्जन एवं उपभोग धर्मसम्मत होना चाहिए। इसी प्रकार मनुस्मृति स्पष्ट करती है "नाधर्मेण धनं कामयेत्"[3], जिससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय आर्थिक दृष्टि में नैतिक अनुशासन सर्वोपरि है। वैदिक वाङ्मय में आर्थिक समृद्धि को सामाजिक समन्वय से जोड़ा गया है। ऋग्वेद का मंत्र "सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्"[4]– सामूहिक एकात्मता का उद्घोष करता है। यह सिद्धांत आधुनिक डिजिटल नेटवर्क–आधारित अर्थव्यवस्था के सहयोगात्मक (collaborative) स्वरूप से साम्य रखता है। अथर्ववेद में कहा गया है "शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर"[5] अर्थात् व्यापक रूप से अर्जन करो और उदारतापूर्वक वितरण करो। यह विचार आज की समावेशी वित्तीय संरचना (financial inclusion) की आधारभूमि बन सकता है। उपनिषदों में अर्थ के आध्यात्मिक नियमन का संकेत भी प्राप्त होता है। ईशोपनिषद् उद्घोष करता है "तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्"[6]। यह वाक्य लोभ–नियंत्रण और मर्यादित उपभोग का आदर्श प्रस्तुत करता है, जो डिजिटल युग में डेटा–गोपनीयता, वित्तीय मर्यादा तथा उपभोक्ता–अधिकार की रक्षा के लिए दार्शनिक आधार प्रदान करता है। श्रीमद्भगवद्गीता में आर्थिक क्रिया को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ते हुए कहा गया है "लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि"[7]। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि कर्म और विशेषतः आर्थिक कर्म केन्द्रीय रूप से लोककल्याणोन्मुख होना चाहिए।

वर्तमान डिजिटल अर्थव्यवस्था कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एल्गोरिथ्मिक विश्लेषण, ब्लॉकचेन तथा डेटा–आधारित संरचनाओं पर आधारित है। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली की सुरक्षा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नियामकीय मानक स्थापित किए गए।[8] यद्यपि तकनीकी दक्षता वित्तीय तीव्रता को बढ़ाती है, तथापि यदि उसमें नैतिक अधिष्ठान का अभाव हो तो वही प्रणाली असंतुलन, शोषण एवं अविश्वास को जन्म दे सकती है।

अतः भारतीय परंपरा का यह स्थिर मत है कि 'अर्थ' साधन है, साध्य नहीं; वह धर्म, न्याय और लोकहित से नियंत्रित होना चाहिए। डिजिटल युग में भी वित्तीय संरचना को दीर्घकालिक स्थायित्व प्रदान करने हेतु उसी धर्माधारित आर्थिक दृष्टि का पुनर्संस्थापन अनिवार्य है। यही इस अध्ययन का मूल दार्शनिक आधार है।

कौटिल्य का वित्तीय अनुशासन और डिजिटल पारदर्शिता

कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजकीय अर्थनीति का अत्यंत परिपक्व एवं व्यवस्थित ग्रंथ है। इसमें स्पष्टतः प्रतिपादित है "कोष मूलो दण्डः"[9] अर्थात् राज्य–शक्ति का आधार सुदृढ़ कोष है। यहाँ 'कोष' केवल धन–संचय नहीं, अपितु वित्तीय अनुशासन, राजस्व–संग्रह की पारदर्शिता तथा उत्तरदायी प्रशासन का प्रतीक है। यदि कोष सुदृढ़ है तो शासन सुदृढ़ है; यदि कोष दुर्बल है तो दण्डनीति भी निष्प्रभावी हो जाती है। कौटिल्य ने वित्तीय प्रशासन के लिए 'समाहर्ता' और 'सन्निधाता' जैसे पदों की व्यवस्था की[10], जिनका कार्य आय–व्यय का संकलन, अभिलेखन और संरक्षण था। वे निर्देश देते हैं कि प्रत्येक राजकीय आय का पृथक् लेखा हो तथा व्यय का सत्यापन नियमित परीक्षण द्वारा किया जाए। "लेख्यं परीक्षेत्" अर्थात् अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच हो यह भाव अर्थशास्त्र के विभिन्न अध्यायों में परिलक्षित होता है।[11] भ्रष्टाचार–निरोध के विषय में कौटिल्य की दृष्टि अत्यंत व्यावहारिक है।

वे स्वीकार करते हैं कि जैसे जल में तैरती मछली के मुख में जल का प्रवेश दिखाई नहीं देता, वैसे ही वित्तीय अधिकारी के द्वारा धन–अपहरण का पता लगाना कठिन है "यथा मत्स्यो जलं पिबन्न न दृश्यते"।[12] इस कथन के माध्यम से वे पारदर्शी निरीक्षण–तंत्र की आवश्यकता पर बल देते हैं। कौटिल्य का वित्तीय अनुशासन केवल दण्डप्रधान नहीं, अपितु नीतिपरक भी है। वे राजस्व–संग्रह में अति–शोषण का विरोध करते हुए कहते हैं कि कर–व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रजा पर अनावश्यक भार न पड़े ।[13] यह सिद्धांत आधुनिक 'प्रोग्रेसिव टैक्सेशन' तथा संतुलित वित्तीय नीति की आधारभूमि से साम्य रखता है।

आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में ब्लॉकचेन, ऑडिट–ट्रेल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता–आधारित जोखिम विश्लेषण तथा रियल–टाइम मॉनिटरिंग जैसी तकनीकें वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साधन बन चुकी हैं। विश्व बैंक ने वित्तीय समावेशन और डिजिटल ट्रांजैक्शन की पारदर्शिता में तकनीकी अवसंरचना की भूमिका को रेखांकित किया है।[14] यह वस्तुतः कौटिल्य की लेखा–परीक्षा और सतत् निरीक्षण प्रणाली का आधुनिक तकनीकी रूपांतरण है। समालोचनात्मक दृष्टि से यह भी विचारणीय है कि कौटिल्य का मॉडल राज्य–केंद्रित था, जहाँ समस्त वित्तीय नियंत्रण राजसत्ता के अधीन था। वर्तमान फिनटेक तंत्र में निजी कंपनियाँ, स्टार्टअप तथा वैश्विक डिजिटल मंच भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अतः केवल दण्डनीति पर्याप्त नहीं; बहु–स्तरीय नियमन, डेटा–सुरक्षा मानक तथा पारदर्शी एल्गोरिथ्मिक संरचना भी आवश्यक हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कौटिल्य का वित्तीय अनुशासनकृलेखा–परीक्षा, उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार–निरोध तथा संतुलित कर–व्यवस्था डिजिटल युग में भी प्रासंगिक है। यदि आधुनिक तकनीक को इस शास्त्रीय अनुशासन के साथ समन्वित किया जाए, तो एक उत्तरदायी, पारदर्शी और स्थायी डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थापना संभव है।

व्यापारिक न्याय और उपभोक्ता–सुरक्षा रू याज्ञवल्क्य की प्रासंगिकता

याज्ञवल्क्यस्मृति भारतीय धर्मशास्त्रीय परंपरा में विधि, व्यवहार और न्याय के सुसंगठित प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है। व्यापारिक आचरण के संदर्भ में याज्ञवल्क्य स्पष्ट रूप से सत्य, निष्पक्षता और न्याय को अनिवार्य तत्व के रूप में स्थापित करते हैं "सत्यं ब्रुयात् प्रियं ब्रुयात्"[15] तथा व्यवहाराध्याय में लेन–देन की शुचिता पर विशेष बल दिया गया है।[16] यहाँ व्यापार केवल लाभार्जन की क्रिया नहीं, अपितु सामाजिक विश्वास (trust) पर आधारित अनुबंध है। याज्ञवल्क्य 'ऋण', 'विक्रय' तथा 'सामान्य व्यवहार' के नियमों का उल्लेख करते हुए अनुचित लाभ, मिथ्या प्रस्तुति तथा छलपूर्ण व्यवहार को दण्डनीय मानते हैं।[17] इससे स्पष्ट है कि व्यापारिक स्वतंत्रता न्यायिक मर्यादाओं के अधीन है।

वर्तमान डिजिटल अर्थव्यवस्था में फिनटेक प्लेटफॉर्मों द्वारा त्वरित ऋण–वितरण, माइक्रो–क्रेडिट तथा ऑनलाइन निवेश की सुविधाएँ उपलब्ध हैं किन्तु इसके साथ 'प्रिडेटरी लेंडिंग', अत्यधिक ब्याज दरें, छिपे हुए शुल्क तथा उपभोक्ता–डेटा के दुरुपयोग जैसी समस्याएँ भी उभर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने Responsible Lending तथा Consumer Data Protection की आवश्यकता पर बल दिया है।[18] याज्ञवल्क्य की न्यायाधारित दृष्टि यह संकेत करती है कि व्यापार लाभ–केंद्रित हो सकता है, किन्तु अन्याय–केंद्रित नहीं। आर्थिक अनुबंध का आधार पारदर्शिता, सहमति और निष्पक्षता होना चाहिए। यदि डिजिटल ऋण–प्रणाली उपभोक्ता की अज्ञानता या विवशता का लाभ उठाती है, तो वह शास्त्रीय दृष्टि से 'अधर्म' की श्रेणी में आएगी।

अतः डिजिटल वित्तीय तंत्र में नैतिक सीमांकन, स्पष्ट शर्तें, डेटा–सुरक्षा तथा नियामकीय निगरानी अनिवार्य हैं। याज्ञवल्क्य की न्याय–प्रधान अर्थदृष्टि आज भी उपभोक्ता–सुरक्षा और उत्तरदायी फिनटेक शासन के लिए सशक्त दार्शनिक आधार प्रदान करती है।

गीता का 'लोकसंग्रह' और कॉरपोरेट उत्तरदायित्व

श्रीमद्भगवद्गीता में कर्म का दार्शनिक स्वरूप केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं है, अपितु सामाजिक समन्वय और लोककल्याण से संयुक्त है। तृतीय अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं "लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि"[19] अर्थात् कर्म करते समय लोकसंग्रहकृसमाज की स्थिरता और सामूहिक हित को दृष्टि में रखना

चाहिए। इसी अध्याय में आगे कहा गया है, "यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः"[20] जिससे स्पष्ट होता है कि नेतृत्वकारी व्यक्तियों और संस्थाओं का आचरण व्यापक समाज को प्रभावित करता है। 'लोकसंग्रह' का तात्पर्य केवल दान या परोपकार नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की स्थापना है जिससे समाज का संतुलन, नैतिकता और दीर्घकालिक कल्याण सुरक्षित रहे। गीता का कर्मयोग सिद्धांत, "नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः"[21] कर्तव्यनिष्ठ, उत्तरदायी और अनुशासित कर्म की प्रेरणा देता है।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और एनवायरनमेंटल, सोशल, गवर्नेंस (ESG) ढाँचे कंपनियों को सामाजिक, पर्यावरणीय एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध करते हैं।[22] यह ढाँचा इस विचार पर आधारित है कि कॉरपोरेट संस्थान केवल लाभ–सृजन के साधन नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना के सक्रिय घटक हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों के संदर्भ में 'लोकसंग्रह' की प्रासंगिकता और भी अधिक है, क्योंकि वे विशाल जनसमूह के डेटा, उपभोक्ता व्यवहार तथा वित्तीय प्रवाह को प्रभावित करती हैं। एल्गोरिथ्मिक निर्णय, डेटा–प्रबंधन और निवेश–नीतियाँ सामाजिक असमानता, गोपनीयता और सूचना–न्याय पर सीधा प्रभाव डालती हैं। यदि इनका संचालन केवल लाभ–प्रेरित हो, तो सामाजिक संतुलन भंग हो सकता है।

गीता के अनुसार कर्म का आदर्श निष्काम, उत्तरदायी और लोकहितोन्मुख होना चाहिए। अतः डिजिटल युग में कॉरपोरेट उत्तरदायित्व का अर्थ है पारदर्शी प्रशासन, डेटा–सुरक्षा, पर्यावरण–संवेदनशील निवेश और समावेशी आर्थिक अवसरों का सृजन। इस प्रकार 'लोकसंग्रह' का सिद्धांत आधुनिक कॉरपोरेट शासन को नैतिक आधार प्रदान करता है तथा यह प्रतिपादित करता है कि आर्थिक शक्ति का परम उद्देश्य सामूहिक कल्याण होना चाहिए, न कि केवल स्वार्थसिद्धि।

नियामकीय उत्तरदायित्व और डिजिटल शासन

डिजिटल वित्तीय सेवाओं के तीव्र विस्तार ने आर्थिक लेन–देन को सहज, त्वरित और व्यापक बना दिया है, परंतु इसके साथ ही नियामकीय उत्तरदायित्व की आवश्यकता भी अत्यधिक बढ़ गई है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन बैंकिंग, फिनटेक प्लेटफॉर्म तथा क्रिप्टो–आधारित परिसंपत्तियों के संचालन में यदि प्रभावी नियमन न हो, तो वित्तीय असुरक्षा, साइबर अपराध तथा उपभोक्ता–शोषण की संभावनाएँ प्रबल हो सकती हैं। अतः नियामकीय संस्थाओं की भूमिका डिजिटल शासन (Digital Governance) के केंद्र में स्थित है। भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल भुगतान सुरक्षा, बहु–स्तरीय प्रमाणीकरण, साइबर–जोखिम प्रबंधन तथा डेटा–संरक्षण के लिए व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए हैं।[23] इसी प्रकार National Payments Corporation of India (NPCI) द्वारा विकसित इंटरऑपरेबिलिटी प्रणाली और UPI ढाँचा डिजिटल लेन–देन को पारदर्शी और समावेशी बनाता है।[24] यह संरचना तकनीकी दक्षता के साथ नियामकीय संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

भारतीय शास्त्रीय परंपरा में 'राजधर्म' को शासन की नैतिक आत्मा माना गया है। महाभारत के शान्तिपर्व में राजधर्म का एक प्रमुख उद्देश्य प्रजा–पालन और आर्थिक न्याय की स्थापना बताया गया है। कौटिल्य भी शासन के दायित्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है "प्रजासुखे सुखं राज्ञः"।[25] इससे स्पष्ट है कि शासन का उद्देश्य केवल राजस्व–संग्रह नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और न्याय–संरक्षण है। डिजिटल शासन के संदर्भ में यह राजधर्म निम्न अनिवार्य तत्वों में अभिव्यक्त होना चाहिएः

1. **पारदर्शिताः** सभी डिजिटल लेन–देन का स्पष्ट अभिलेखन और निगरानी।
2. **उत्तरदायित्वः** वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
3. **उपभोक्ता संरक्षणः** अनुचित शुल्क, डेटा–दुरुपयोग और भ्रामक अनुबंधों से सुरक्षा।
4. **डेटा गोपनीयताः** व्यक्तिगत सूचना की नैतिक और कानूनी रक्षा।

यदि डिजिटल वित्तीय तंत्र केवल तकनीकी दक्षता पर आधारित रहेगा और नैतिक–नियामकीय आधार से शून्य होगा, तो वह दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः आधुनिक नियामकीय संरचनाओं को भारतीय

राजधर्म की न्याय–संवेदी दृष्टि के साथ समन्वित करना आवश्यक है। यही संतुलन डिजिटल शासन को विश्वसनीय, समावेशी और मानवोन्मुख बना सकता है।

समन्वित आर्थिक मॉडलः दार्शनिक एवं तकनीकी एकीकरण

समकालीन डिजिटल अर्थव्यवस्था के तीव्र विस्तार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल तकनीकी दक्षता आर्थिक स्थायित्व की गारंटी नहीं दे सकती। यदि आर्थिक संरचना को दीर्घकालिक, न्यायसंगत और समावेशी बनाना है, तो उसे दार्शनिक आधार और तकनीकी नवाचार दोनों के समन्वय से निर्मित करना होगा। इसी दृष्टि से एक समन्वित आर्थिक मॉडल की परिकल्पना की जा सकती है, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्थिक सिद्धांत आधुनिक वित्तीय तंत्र के साथ एकीकृत हों।

प्रथम स्तंभ है पारदर्शिता, जिसका प्रतिपादन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वित्तीय अनुशासन और लेखा–परीक्षा के रूप में मिलता है। आधुनिक संदर्भ में यह सिद्धांत ब्लॉकचेन तकनीक, ऑडिट ट्रेल और रियल–टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। पारदर्शिता वित्तीय विश्वास (financial trust) का आधार है।

द्वितीय स्तंभ है न्याय, जिसे याज्ञवल्क्य ने व्यापारिक व्यवहार की अनिवार्य शर्त माना। आज यह उपभोक्ता संरक्षण कानूनों, निष्पक्ष अनुबंध–प्रणालियों और जिम्मेदार ऋण–वितरण नीतियों के रूप में प्रकट होता है। न्याय के अभाव में डिजिटल सुविधा भी शोषण का माध्यम बन सकती है।

तृतीय आधार है धर्मसम्मत अर्थ, जिसका संकेत मनुस्मृति में मिलता है। आधुनिक युग में यह नैतिक फिनटेक फ्रेमवर्क, डेटा–सुरक्षा मानक और उत्तरदायी वित्तीय आचरण के रूप में विकसित किया जा सकता है।

चतुर्थ तत्व है लोकसंग्रह, जो गीता में प्रतिपादित सामाजिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। समकालीन कॉरपोरेट जगत में CSR (Corporate Social Responsibility) तथा ESG (Environmental, Social, Governance) मानक इसी भाव की अभिव्यक्ति हैं, जहाँ लाभ के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन को भी महत्व दिया जाता है।

पंचम आधार है राजधर्म, जो शासन को आर्थिक न्याय और सामाजिक संतुलन सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपता है। वर्तमान में यह RBI जैसे नियामकीय संस्थानों की नीतियों और निगरानी तंत्र में परिलक्षित होता है।

अंततः समावेशन वित्तीय सेवाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना इस मॉडल का केंद्रीय उद्देश्य है। डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ और वित्तीय समावेशन कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस प्रकार इस समन्वित मॉडल में तकनीक साधन है, जबकि साध्य मानव कल्याण, सामाजिक संतुलन और नैतिक आर्थिक विकास है। यही दार्शनिक एवं तकनीकी एकीकरण डिजिटल युग की स्थायी अर्थव्यवस्था की आधारशिला बन सकता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोधपत्र के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि डिजिटल वाणिज्य और फिनटेक ने वैश्विक तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र गति, व्यापक पहुँच और तकनीकी दक्षता प्रदान की है। UPI जैसी नवोन्मेषी प्रणालियों और नियामकीय संस्थाओं की सक्रिय भूमिका ने वित्तीय समावेशन को नई दिशा दी है। तथापि डिजिटल विस्तार के साथ डेटा–सुरक्षा, एल्गोरिथ्मिक पक्षपात, उपभोक्ता–शोषण और नैतिक शिथिलता जैसी चुनौतियाँ भी समानांतर रूप से उभर रही हैं। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का संचालन केवल तकनीकी संरचनाओं पर आधारित न होकर सुदृढ़ नैतिक अधिष्ठान से निर्देशित हो। संस्कृताधारित आर्थिक चिंतन इस संदर्भ में गहन दार्शनिक आधार प्रदान करता है। मनुस्मृति का धर्मसम्मत अर्थार्जन, कौटिल्य का वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता, याज्ञवल्क्य का व्यापारिक न्याय तथा गीता का लोकसंग्रह ये सभी सिद्धांत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि अर्थ साधन है, साध्य नहीं। आर्थिक क्रिया का अंतिम उद्देश्य सामाजिक संतुलन, विश्वास और लोककल्याण होना चाहिए। समालोचनात्मक दृष्टि से यह भी स्पष्ट हुआ कि प्राचीन मॉडल राज्य–केंद्रित थे, जबकि आधुनिक फिनटेक

बहु–हितधारक संरचना पर आधारित है। अतः समकालीन व्यवस्था में राज्य, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के मध्य संतुलित नियमन एवं उत्तरदायित्व की साझी संरचना विकसित करना आवश्यक है। अंततः यह प्रतिपादित किया जा सकता है कि यदि डिजिटल तकनीक को धर्माधारित आर्थिक दृष्टि, न्याय–केन्द्रित नीति और उत्तरदायी शासन के साथ समन्वित किया जाए, तो एक पारदर्शी, समावेशी और मानवोन्मुख डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव है। यही समन्वय भविष्य की स्थायी आर्थिक व्यवस्था की वास्तविक आधारशिला सिद्ध होगा।

संदर्भ सूची

1. कामन्दक. कामन्दकीय नीतिसार 1.7.
2. महाभारत, शान्तिपर्व. अध्याय 109, श्लोक 11 "धर्मेण अर्थः समाचरेत्।"
3. मनुस्मृति 4.176. "नाधर्मेण धनं कामयेत्।"
4. ऋग्वेद 10.191.2. "सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।"
5. अथर्ववेद 3.24.5. "शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर।"
6. ईशोपनिषद् 1. "तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।"
7. श्रीमद्भगवद्गीता 3.20. "लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि।"
8. Reserve Bank of India- Digital Payments Report, 2022.
9. कौटिल्य. अर्थशास्त्र 2.8. "कोष मूलो दण्डः।"
10. वही. 2.7.
11. वही 2.9.
12. वही 2.9.
13. वही 5.2.
14. World Bank- Financial Inclusion Report, 2022.
15. याज्ञवल्क्यस्मृति 1.132.
16. वही 2.21
17. वही 2.22–2.25.
18. International Monetary Fund (IMF) FinTech Note, 2022.
19. श्रीमद्भगवद्गीता 3.20.
20. वही 3.21
21. वही 3.8.
22. OECD, Corporate Governance Outlook, 2021.
23. Reserve Bank of India, Annual Report, 2023.
24. National Payments Corporation of India (NPCI) Annual Report, 2023.
25. कौटिल्य. अर्थशास्त्र 1.19. "प्रजासुखे सुखं राज्ञः।"

****